प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2021
   प्र.इ.रि.स 25/22 दिनांक 29/01/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 673 समय 11:30 AM
   (2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 28.01.2022 समय 08.36 ए.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.01.2022 समय 01:30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 415 किलोमीटर
   (2) पता–मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4 जिला उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   परिवादी

   (1) नाम : श्री वालचंद डांगी
   (2) पिता का नाम : श्री चतराजी डांगी
   (3) आयु : 48 साल
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
   (6) व्यवसाय : व्यापार
   (7) पता : ग्राम उथरदा तहसील सलुंबर जिला उदयपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्रीमती हीना बोड पत्नी श्री पुनम चन्द मीणा उम्र– 31 वर्ष निवासी कनावतफला, उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर हाल निवास मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4 जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	3500 रूपये	परिवादी श्री वालचंद से आरोपिया श्रीमती हीना द्वारा अपने पदीय हैसियत से किये जाने वाले कर्तव्यों के निष्पादन निःशुल्क जारी पट्टें की रजिस्ट्री करवानें में परिवादी श्री वालचंद डांगी से अवैध पारितोषण के रूप में 5000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर उसमें से 1000/500 रूपयें कम कर प्राप्त करनें की सहमति प्रदान कर 3500 रूपयें रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण करना

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 3500 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
उदयपुर

विषय :– पट्टा की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर उपर के पैसे रिश्वत के रूप में लेने के नाम की शिकायत।

महादेयजी,

निवेदन है कि मैं वालचन्द डांगी पुत्र चतराजी डांगी निवासी उथरदा त. सलूम्बर जि. उदयपुर (राज) का रहने वाला हूँ। प्रशासन गांवो के संग के अभियान में ता. 08/11/21 के महिने में मुझे प्रार्थी को पट्टा दिया गया था, यह पट्टा मेरे नाम पर ग्राम पंचायत उथरदा द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टा मेरे निवास घर का है इस पट्टे की रजिस्ट्री सलूम्बर रजिस्ट्रा कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करवाने है। मैने इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत उथरदा के सरपंच श्रीमति हिना बोड से सम्पर्क किया तो उसने कहां की एक महा के बाद के बाद रजिस्ट्री करवाउगी मेरे द्वारा काफी निवेदन करने पर कहा कि सलूम्बर आने का खर्चा लगेगा। सभी पंचायत वाले रजिस्ट्री का खर्चा लेते है। आपको भी खर्चा–पानी देना पडेगा मेरे द्वारा काफी निवदेन करने पर 5000/– पॉच हजार रूपये का खर्चा बताया इतना मुझे देना पडेगा। जबकि रजिस्ट्री के स्टाम्प का खर्चा मुझ प्रार्थी द्वारा वकील से दरातावेज पंजीयन हेतु तैयार करवाया है। जिसमें 100/– रूपये का स्टाम्प है इ चालान 500/– व एक ई चालान 26/– रूपये का है। कुल राशि 626/– रूपये हो रही है बाकी टाईप वगैरा का जो भी खर्चा होगा वो तहसील कार्यालय में सलूम्बर में लगेगा व मेरे द्वारा वहन कर ग्राम पंचायत उथरदा की पट्टे की रसीद सं. 6 पुस्तक सं. 76, ता. 5/4/17 को राशि 100/– की ही रसीद दी है। ग्राम पंचायत उथरदा सरपंच रजिस्ट्री करवाने के नाम से 5000/– पॉच हजार रूपये की रिश्वत ता. 26.1.22 सरपंच के निवास घर पर बताया था मै मेरे लिगल कार्य के लिये रिश्वत नहीं देना चाहता हू। मेरे सरपंच हिना बोड से निजी किसी प्रकार की लेन–देन नहीं है।

अतह कानूनी कार्यवाही करे।

भवदीय
एसडी
वालचन्द डांगी
9588229439

स्थान :– एसडी
उदयपुर मदनलाल
27/1/22 ललित किशोर

कार्यवाही पुलिस

दिनांक : 27.01.2022 समय करीब 01.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी वालचन्द डांगी पुत्र चतराजी डांगी निवासी उथरदा त. सलूम्बर जि. उदयपुर (राज) ने उपस्थित होकर हस्तलिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया ''कि प्रशासन गांवो के संग के अभियान में ता. 08/11/21 के महिने में मुझे प्रार्थी को पट्टा दिया गया था, यह पट्टा मेरे नाम पर ग्राम पंचायत उथरदा द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टा मेरे निवास घर का है इस पट्टे की रजिस्ट्री सलूम्बर रजिस्ट्रा कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करवाने है। मैने इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत उथरदा के सरपंच श्रीमति हिना बोड से सम्पर्क किया तो उसने कहां की एक महा के बाद के बाद रजिस्ट्री करवाउगी मेरे द्वारा काफी निवेदन करने पर कहा कि सलूम्बर आने का खर्चा लगेगा। सभी पंचायत वाले रजिस्ट्री का खर्चा लेते है। आपको भी खर्चा--पानी देना पडेगा मेरे द्वारा काफी निवदेन करने पर 5000/– पॉच हजार रूपये का खर्चा बताया इतना मुझे देना पडेगा। जबकि रजिस्ट्री के स्टाम्प का खर्चा मुझ प्रार्थी द्वारा वकील से दरातावेज पंजीयन हेतु

तैयार करवाया है। जिसमें 100/– रूपये का स्टाम्प है इ चालान 500/– व एक ई चालान 26/– रूपये का है। कुल राशि 626/– रूपये हो रही है बाकी टाईप वगैरा का जो भी खर्चा होगा वो तहसील कार्यालय में सलूम्बर में लगेगा व मेरे द्वारा वहन कर ग्राम पंचायत उथरदा की पट्टे की रसीद सं. 6 पुस्तक सं. 76, ता. 5/4/17 को राशि 100/– की ही रसीद दी है। ग्राम पंचायत उथरदा सरपंच रजिस्ट्री करवाने के नाम से 5000/– पॉच हजार रूपये की रिश्वत ता. 26.1.22 सरपंच के निवास घर पर बताया था मै मेरे लिगल कार्य के लिये रिश्वत नहीं देना चाहता हू। मेरे सरपंच हिना बोड से निजी किसी प्रकार की लेन–देन नहीं है।'' प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तथा परिवादी से मजीद पुछताछ पर मामला रिश्वत मांग एवं लेन–देन का होकर भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम–2018 में वर्णित अपराध की श्रेणी का पाया जाने पर हालात जरिये टेलीफोन श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन करने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 02.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल टेप रिकार्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड के श्री टीकाराम कानि. से मंगवाया गया तथा परिवादी श्री वालचन्द डांगी से आपस में परिचय करा परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भलीभांति समझाया गया। श्री टीकाराम कानि. को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने की हिदायत दी, साथ ही सदिग्ध व्यक्ति की आम शोहरत की जानकारी भी लाने की हिदायत दी तथा यह भी हिदायत दी कि बाद सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवे इसके उपरान्त परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सूपुर्द करते हुए परिवादी श्री वालचन्द डांगी एवं श्री टीकाराम कानि. को ब्यूरो कार्यालय से सेवा नगर सेक्टर–4 की ओर रवाना किया। समय करीब 03.45 पी.एम. पर रवानाशुदा परिवादी श्री वालचन्द एवं कानि. टीकाराम ब्यूरों कार्यालय उपस्थित हुए । परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए बताया की हम यहॉ से रवाना होकर मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर–4 के पास पहुचे जहॉ टीकाराम जी ने मेरे पास रखी डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया। मैं श्रीमती हिना बोड सरपच साहीबा के निवास मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर–4 के मुख्य द्वार से प्रवेश कर अन्दर खडी एक महिला से सरपंच के बारे में पूछने पर पिछे से श्रीमति हिना बोड आई जिन्होने मुझसे ग्राम पंचायत उथरडा द्वारा मेरे नाम से जारी मेरे घर के पट्टे की रजिस्ट्री करने की एवज् में 5000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मेरे अनुनय–विनय करने पर 3500/– रूपये लेने हेतु सहमत हुई। उक्त वार्ता को मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। जिसके बाद मैं टीकाराम जी के पास आया तथा वहॉ से रवाना होकर इस समय आपके पास उपस्थित हुए है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा टेप रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो अनुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होना पाया गया। समय करीब 5.51 पी.एम. पर परिवादी श्री वालचन्द के मोबाईल नम्बर 9588229439 से आरोपिया सरपंच के मोबाईल नम्बर 8079027231 पर लाउडस्पीकर मोड ऑन करा कॉल करवाई तो सरपंच श्रीमती हिना बोड द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि 3500/– रूपये के अलावा परिवादी श्री वालचन्द को अलग से चालान कटवाने हेतु कथन किया गया। जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया । समय करीब 6.10 पी.एम. पर ब्यूरों द्वारा पूर्व में की जा रही गोपनीय कार्यवाही में तलब शुदा स्वतन्त्र गवाह श्री ललित किशोर दामा पुत्र श्री गणेशलाल दामा उम्र– 44 वर्ष निवासी :– मकान नम्बर 278, मुल्लातलाई मेन रोड, उदयपुर हाल प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 कमली ग्राम पंचायत चौकडिया नाई जिला उदयपुर एवं श्री मदनलाल सिंघाडिया पुत्र श्री भोमाराम सिंघाडिया उम्र– 57 वर्ष निवासी :–02, संजय कॉलोनी राताखेत, रामपुरा रोड उदयपुर हाल वरिष्ठ अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 हिरण मगरी सेक्टर 11, विशाल मेगा मार्ट के पास जिला उदयपुर को पृथक–पृथक टेलीफोन कर कार्यालय में दिनांक 28.01.2022 की प्रातः 7.30 ए.एम. पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया । डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 6.15 पी. एम. पर परिवादी श्री वालचन्द डांगी को आरोपिया संरपच की मांग अनुसार रिश्वत राशि

3500/– रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 28.01.2020 को प्रातः 7.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 28.01.2022 को समय करीब 7.15 ए.एम. पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री वालचन्द डांगी को आरोपिया संरपच की मांग अनुसार रिश्वत राशि 3500/– रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष में बैठाया गया तथा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित श्री दिनेश कुमार कानि. भ्र.नि. ब्यूरों एस.यू. उदयपुर भी कार्यालय में उपस्थित हुआ। समय करीब 7.25 ए.एम. पर पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री ललित किशोर दामा एवं श्री मदनलाल सिंघाडिया उपस्थित आये। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी मोखिक सहमति व्यक्त करने पर परिवादी श्री वालचन्द डांगी का दोनो स्वतन्त्र गवाहन से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 27.01.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढ कर सुनाया तो परिवादी ने अक्षरशः अपनी हस्तलिपि में होना बताकर अंकित तथ्यों की ताईद की। जिस पर दोनो गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 7.30 ए.एम. पर दिनांक 27.01.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के रिकॉर्डशुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्पयुटर से कनेक्ट कर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन तथा स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट श्री मांगीलाल कानि से तैयार करवाया जाना प्रारम्भ किया गया। समय करीब 8.00 ए.एम. पर दिनांक 27.01.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पूर्ण कर पृथक से तैयार फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 8.01 ए.एम. पर दिनांक 27.01.2022 को परिवादी श्री वालचन्द के मोबाईल नम्बर 9588229439 के मोबाईल से आरोपिया सरपंच के मोबाईल नम्बर 8079027231 पर लाउडस्पीकर मोड ऑन करा कॉल करवाई जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्पयुटर से कनेक्ट कर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन तथा स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट श्री मांगीलाल कानि से तैयार करवाया जाना प्रारम्भ किया गया। समय करीब 8.10 ए.एम. पर दिनांक 27.01.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पूर्ण कर पृथक से तैयार फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मांग सत्यापन एवं मोबाईल वार्ता की कम्पयुटर से एक मूल, एक डब एवं एक आईओ सी.डी. मूर्तिब की जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सी.डी. को कपडे की थैली में सील बन्द कर उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखी गई। समय करीब 8.12 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहन के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री वालचन्द डांगी से सरपंच श्रीमती हिना बोड को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 7 नोट कुल 3,500/– रूपये के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3DC 621033
2	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4 UV 716753
3.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7 TN 382618
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 DB 523141
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 DD 156801
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 MR 879514
7	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 MC 530869

कार्यालय की अलमारी से कानि. श्री सुरेश से फिनोल्फ्थेलीन पाउडर की शीशी को मंगवाकर उक्त समस्त नोटो के दोनों ओर श्री सुरेश से फिनोल्फ्थेलीन पाउडर लगवाया जाकर श्री सुरेश से परिवादी श्री वालचन्द के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट के सामने की दांयी जेब में कोई शैः न छोडते हुए रखवाये गये। उसके बाद श्री मुनीर मोहम्मद से कार्यालय में से एक साफ

कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री सुरेश की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थेलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की रसायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपिया द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगी तो नोटों पर लगा फिनोल्फ्थेलीन उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपिया द्वारा रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री सुरेश कानि. से बाहर फिकवाकर फिनोल्फ्थेलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित श्री सुरेश से ही कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी श्री वालचन्द को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपिया के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उन्हे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि देने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फैरकर या मौका देखकर अपने मोबाईल फोन से मेरे मोबाईल फोन पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री मुनीर मोहम्मद से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपिया के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा परिवादी एवं मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर एक-दूसरे के मोबाईल में सेव करवाये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त कार्यवाही समय करीब 8.22 ए.एम. पर समाप्त की। समय करीब 8.25 ए.एम. पर परिवादी श्री वालचन्द एवं कानि. श्री टीकाराम को परिवादी की मोटरसाईकिल से आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक हरिशचन्द्र सिंह, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री ललित किशोर दामा एवं श्री मदनलाल सिंघाडिया मय ब्यूरों टीम के सदस्य श्री मुनीर मोहम्मद हैड कान्सटेबल, श्री मांगीलाल कानि., श्री दिनेश कुमार कानि. एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल टेप रिकार्डर तथा लेपटोप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बोक्स के हमराहियान के जरिये सरकारी वाहन से सेवा नगर सेक्टर-4, उदयपुर के लिए के लिये रवाना हुए। समय करीब 9.20 ए.एम. पर दर्ज रहे कि आज दिनांक 28.01.2020 को समय करीब 8.36 ए.एम. पर परिवादी श्री वालचन्द डांगी ने अपने मोबाईल नम्बर 9588229439 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9460026623 पर आरोपिया श्रीमती हिना बोड को रिश्वत देने के पश्चात् पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा

स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सम्बन्धित सदस्यगण को मेरा अनुसरण करने का ईशारा कर तेज कदमों से चलते हुए मकान नम्बर 461, सेवा नगर के फाटक से प्रवेश कर मुख्य द्वार पर पहुचे जहॉ परिवादी श्री वालचन्द के साथ एक महिला उपस्थित मिली। परिवादी ने अपने पास से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को देने पर टेप रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि यही श्रीमती हिना बोड है जिन्होने मुझसे अभी–अभी इनकी मांग अनुसार मेरे घर के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने की एवज् में 3500/– रूपये अपने हाथ में लेकर इनके घर में उपस्थित प्रकाश नाम के लडके को बुलाकर गिनवाकर अन्दर रखवाये । जिस पर महिला कानि. श्रीमती निरमा से उक्त महिला के हाथों को कोहनी के उपर बॉह से पकडवाकर सुरक्षित करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा सामने खडी महिला से अपना परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्रीमती हीना बोड पत्नी श्री पुनम चन्द मीणा उम्र– 31 वर्ष निवासी कनावतफला, उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर हाल निवास मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4 जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर होना बताया। इस पर परिवादी की ओर ईशारा कर पुछा गया कि आपने अभी–अभी इनसे घर के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने की एवज् में रिश्वत राशि ली है क्या ? जिस पर श्रीमती हीना बोड ने घबराते हुए बताया कि हां इनके घर के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने के लिए चालान कटवाने के लिए इनके द्वारा अभी–अभी मुझे 3500/– रूपये दिये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रजिस्ट्री की नियमानुसार कितनी फीस है और वह प्राप्त करने के लिए कौन अधिकृत है। जिस पर हीना बोड हाथ जोडकर कहने लगी साहब माफ कर दो गलती हो गई आईन्दा ऐसी गलती नहीं करूगी। जिसे तसल्ली देकर रिश्वत राशि पूछने पर बताया की प्रकाश को देकर घर के अन्दर रखवाये है। जिसे हमराह लेकर घर के अन्दर प्रवेश किया तो सामने डायनिग हाल में दो लडके उपस्थित मिले जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अभी–अभी श्रीमती हीना बोड द्वारा दी गई 3500/– रूपये की राशि के बारे में पूछा तो एक लडके ने वही रखे दीवान/पंलग की ओर ईशारा कर बेडशीट पर रखना बताया। जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री ललित किशोर दामा से उक्त राशि उठाकर गिनवाये तो 500–500 रूपये के 07 नोट होकर कुल 3500/– रूपये पाये गये। जिन्हे स्वतन्त्र गवाह श्री ललित किशोर दामा के पास सुरक्षित रखवाये गये। उक्त लडके को उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री प्रकाश मीणा पुत्र नारायण लाल मीणा उम्र–20 वर्ष निवासी कनातफला ग्राम उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर होना बताया। श्रीमती हीना बोड मेरे कूटूम्ब की तरफ से रिश्ते में भाभी लगते है। मैं पिछले दो वर्ष से इनके यहॉ किरायेदार के रूप में रहता हूँ तथा प्राईवेट पढ़ाई के साथ–साथ प्लम्बर का कार्य करता हूँ। पास खडे दूसरे लडके से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम वाला पुत्र श्री नाथूराम मीणा निवासी ग्राम उथरदा पं.सं. सलूम्बर जिला उदयपुर का होना बताया। प्रकाश के साथ ही रहना व काम करना बताया। उक्त आवास आरोपिया श्रीमती हीना बोड के पिता का होने तथा आस–पास पडौसियों की भीड़ होने तथा कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होने से आरोपिया के दोनों हाथों को उसी अवस्था में सुरक्षित रखने हेतु महिला कानि. श्रीमती निरमा से बाये हाथ को बाह से पकडवाया जाकर सरकारी वाहन में बिठाया तथा श्री प्रकाश मीणा को भी वाहन में बिठाकर आरोपिया के आवास से समय करीब 9.00 ए.एम. पर रवाना होकर समय करीब 9.15 ए.एम. पर मय भ्र.नि.ब्यरों उदयपुर पहुचे। तत्पश्चात् आरोपिया हीना बोड द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रकियानुसार आरोपिया श्रीमती हीना बोड के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स से दो साफ कॉच के गिलास मंगवाये जाकर साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती हीना के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चिट व

कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दुसरे कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया हीना के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके उपरान्त गवाह श्री ललित किशोर दामा के सुरक्षित रखवाई बेडशीट के जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखी गई थी उसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कॉच का एक साफ गिलास मंगवाया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त कॉच के गिलास के रंगहीन घोल में बेडशीट के सम्बन्धित स्थान को गिलास में डूबाकर हैड कानि. श्री मुनीर मोहम्मद से धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ, जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क बी.–1 व बी–2 अंकित करा चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपिया द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि श्री प्रकाश से अन्दर रखवाई गई थी, बरामदशुदा रिश्वत राशि जिसे स्वतन्त्र गवाह श्री ललित किशोर दामा के पास सुरक्षित रखी गई थी को पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो मिलान हुबहु होकर निम्नानुसार पाये गये :–

1.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3DC 621033
2	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4 UV 716753
3.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7 TN 382618
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 DB 523141
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 DD 156801
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 MR 879514
7	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 MC 530869

उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सिलचिट बंद करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिये गये।

उपरोक्त बेडशीट को सुखवाकर सम्बन्धित स्थान पर गोला कर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कपडे की थैली में रखवाकर शिल्ड बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बेडशीट पेकेट को वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिया गया।

परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही आरोपिया श्रीमती हीना बोड से पुनः पूछा गया कि परिवादी श्री वालचन्द डांगी से 3500/– रूपये रिश्वत राशि किस बात के ग्रहण किये गए है तो आरोपिया श्रीमती हीना ने बताया कि श्री वालचन्द डांगी के घर का पट्टा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 156 (1) में प्रशासन गॉव के संग अभियान–2021 के तहत दिनांक 08.11.2021 को ग्राम पंचायत उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर द्वारा जारी किया गया है। जिसकी रजिस्ट्री करवाने हेतु श्री वालचन्द जी मेरे पास आये थे। मेरे द्वारा ली गई राशि स्टाम्प एवं वकील को देने के लिए ली गई थी। जिस पर पास में खडे परिवादी श्री वालचन्द डांगी ने बताया कि सरपंच मेडम हीना जी झूठ बोल रही है। मेरे द्वारा स्टाम्प की राशि दिनांक 27.01.2022 को ई–चालान से ही जमा करवा दी गई है।

यह रिश्वत राशि तो सरंपच मेडम ने मेरे पट्टे की रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्री ऑफिस में आने व साईन करने की एवज् में मांग कर ग्रहण किये गये है। जिस पर श्रीमती हीना बोड ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। जिस पर श्री प्रकाश मीणा से उक्त राशि के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वालचन्द जी को मैं जानता हूँ ये उथरदा के ही रहने वाले है। मेरे सामने इन्होने 3500/– रूपये सरपंच साहब हीना जी को दिये थे जिसे मुझसे गिनवाये तो 500–500 की 07 नोट होकर कुल 3500/– रूपये थे। जो हीना जी के कहने पर मैंने बेड पर ले जाकर रख दिये थे। श्री वालचन्द जी उथरदा के ही होने से मै इन्हे जानता हूँ इनके एवं हीना जी बीच में क्या बात हुई मुझे नहीं पता मैं उस वक्त घर के अन्दर था। मुझे नहीं पता की यह राशि रिश्वत की राशि है। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिक की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 11.15 ए.एम. पर आरोपिया श्रीमती हीना बोड के स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 टेस्ट करवाने हेतु मय तहरीर श्रीमती निरमा महिला कानि. एवं श्री टीकाराम कानि. मय सरकारी वाहन श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. को राजकीय चिकित्सालय भूपालपुरा के लिए रवाना किया गया। समय करीब 12.15 पी.एम. पर आरोपिया श्रीमती हीना बोड के स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 टेस्ट करवाने गये हुए बाद कोविड टेस्ट एवं स्वास्थ्य परीक्षण करा रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः कार्यालय में उपस्थित हुए। समय करीब 12.40 पी.एम. पर परिवादी श्री वालचन्द डांगी एवं आरोपिया श्रीमती हीना बोड के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्पयुटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डशुदा वार्ता को स्वतन्त्र गवाहन, आरोपिया श्रीमती हीना बोड, श्री प्रकाश मीणा एव परिवादी श्री वालचन्द के समक्ष चलाकर सुना गया तो आरोपिया श्रीमती हीना बोड, परिवादी श्री वालचन्द तथा श्री प्रकाश मीणा ने उक्त वार्ता में अपनी--अपनी आवाज होना स्वीकार किया। रिकॉर्डशुदा वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पृथक से मूर्तिब की जाकर दोनों गवाहान, आरोपिया, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष ही डिजीटल टेप रिकोर्डर को कम्पयुटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की एक मूल एवं एक डब सी.डी. एवं एक आईओ सीडी तैयार की जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सिलचिट की जाकर कब्जे ब्यूरों ली गई। उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड सैनडीक्स कम्पनी 16 जीबी बरंग काला को भी वजह सबूत जप्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा एक सफेद कपडे की थेली में रख कर कपडे की थेली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा सिलचीट कर कब्जे ब्यूरों लिया गया। समय करीब 01.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहन, परिवादी श्री वालचन्द तथा श्री मांगीलाल मय प्रिन्टर लेपटॉप सरकारी वाहन से मौका नक्शा घटना स्थल का निरीक्षण के लिए रवाना हुआ। समय करीब 01.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के मौका नक्शा घटना स्थल का निरीक्षण कर तैयार फर्द के साथ उपस्थित कार्यालय हुआ। समय करीब 02.00 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती हीना बोड के विरूद्ध जुर्म धारा 7 संशोधित पीसी एक्ट (2018) का अपराध प्रमाणित होने से श्रीमती हीना बोड पत्नी श्री पुनम चन्द मीणा उम्र– 31 वर्ष निवासी कनावतफला, उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर हाल निवास मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4 जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर को उसके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया

गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपिया के कहे अनुसार उसके पिताजी श्री देवेन्द्र सिंह बोड को दी गई। आरोपिया की जामा तलाशी से प्राप्त मोबाईल को वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जे ब्यूरों लिया गया। समय करीब 02.15 पी.एम. पर आरोपिया श्रीमती हीना बोड को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु पत्र क्रमांक एसपीएल–1 दिनांक 28.01.2022 जारी किया गया। जिस पर आरोपिया द्वारा मूल पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत् प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया गया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 04.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्रीमती निरमा महिला कानि., श्री टीकाराम श्री मांगीलाल कानि. गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती हीना बोड सरपंच ग्राप पंचायत उथरदा पं.सं. सलूम्बर जिला उदयपुर को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर के लिए रवाना हुए।

आरोपिया श्रीमती हीना बोड पत्नी श्री पुनम चन्द मीणा उम्र 31 वर्ष निवासी कनावतफला, उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर हाल निवास मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4 जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर को आज दिनांक 28.01.2022 को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर मे जरिये जे.सी. रिमाण्ड पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश प्रदान किये गये। जिस पर माननीय न्यायालय से जे.सी. वारण्ट प्राप्त कर केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवा रसीद प्राप्त की गई।

अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है परिवादी श्री वालचन्द डांगी को राजस्थान ग्राम पंचायत नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत उथरदा पंचायत समिति सलुंबर जिला उदयपुर के मिसल संख्या 15/2018–19 बुक संख्या 02 पट्टा संख्या 55730 द्वारा आवास का पट्टा जारी किया गया था। उक्त पट्टें की रजिस्ट्री हेतु दिनांक 27.01.2022 को परिवादी द्वारा ई–ग्रास चालान से राजकोष में नियमानुसार 500 रूपयें रसीद संख्या जीआरएन नंबर 0058084491 दिनांक 27.01.2022 से तथा स्टांप ड्यूटी के 26 रूपयें रसीद जीआरएन नंबर 0058086704 दिनांक 27.01.2022 द्वारा राजकोष में जमा करवायें गये थे, किन्तु आरोपिया सरंपच ग्राम पंचायत उथरदा श्रीमती हीना बोड द्वारा परिवादी श्री वालचंद डांगी को जारी निःशुल्क पट्टें की ग्राम पंचायत प्रतिनिधि द्वारा करवाई जाने वाली रजिस्ट्री में हस्ताक्षर करनें की एवज में 5000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करने पर परिवादी श्री वालचंद डांगी द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक उदयपुर पर दिनांक 27.01.2022 को उपर्युक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर दिनांक 27.01.2022 को नियमानुसार करवाई गई मांग सत्यापन वार्ता में आरोपियां द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि 5000 रूपयें में सें 1000–1500 रूपयें कम करनें हेतु कथन किया जाकर 3500 रूपयें लेने हेतु सहमत होना सत्यापित पाया जाने से दिनांक 28.01.2022 को नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। जिसमें आरोपियों द्वारा परिवादी श्री वालचंद से 3500 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु अपने आवास में रह रहे किरायेंदार श्री प्रकाश मीणा से गिनवाकर ग्रहण कर श्री प्रकाश को पुनः देकर आवास के बरामदें में रखें पलंग की बेडशीट पर रखने हेतु

निर्देश दिया जाकर ग्रहण करना पाया गया। जिसे उक्त पलंग की बेडशीट से बरामद कर नियमानुसार जब्त किया जाकर आरोपियां के हाथों तथा बेडशीट का धोवन लिया गया तो आरोपियां के दायें हाथ के धुलवाये गये धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथा बायें हाथ के धोवन का रंग मटमेला हुआ एवं बेडशीट के लिये गये धोवन का रंग गुलाबी होने पर आरोपिया को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियां द्वारा वक्त रिश्वत राशि ग्रहण अपने किरायेंदार श्री प्रकाश मीणा से गिनवाकर पलंग की बेडशीट पर रखवाने के तथ्यों पर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण दर्ज के पश्चात अनुसंधान किया किया जाकर तथ्यों को पत्रावली पर लिया जाना उचित होगा।

इस प्रकार आरोपियां श्रीमती हीना बोड पत्नी श्री पुनम चन्द मीणा उम्र– 31 वर्ष निवासी कनावतफला, उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर हाल निवास मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4 जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर द्वारा अपने पदीय हैसियत से किये जाने वाले कर्तव्यों के निष्पादन निःशुल्क जारी पट्टें की रजिस्ट्री करवानें में परिवादी श्री वालचंद डांगी से अवैध पारितोषण के रूप में 5000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर उसमें से 1000 से 1500 रूपयें कम कर प्राप्त करनें की सहमति प्रदान कर 3500 रूपयें रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण करना प्रथम दृष्टया जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपियां श्रीमती हीना बोड पत्नी श्री पुनम चन्द मीणा उम्र– 31 वर्ष निवासी कनावतफला, उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर हाल निवास मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4 जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत उथरडा पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

(हरिश्चन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यू. उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिशचन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपिया श्रीमती हीना बोड, सरपंच, ग्राम पंचायत उथरडा, पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 25/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 216-52 दिनांक 29.1.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

29.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।